ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता

Dr. Dhiraj Bakolia

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सार

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। संविधान के अधीन भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य हैं, ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रखता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक पन्थनिरपेक्ष देश है। लेकिन भारतीय पन्थनिरपेक्षता, पश्चिमी देशों की पन्थनिरपेक्षता से थोड़ी भिन्न है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहाँ धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णत: संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर-धार्मिक समानता पर आधारित है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।

धर्म शब्द का अर्थ पंथ नही होता। इसलिए धर्म निरपेक्ष शब्द ही गलत है। सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नही अपितु पंथनिरपेक्ष होता है । धर्म शब्द का विश्व में किसी भी समृद्ध भाषा मे पर्यायवाची शब्द नही है। इसलिए पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर कहना उचित है। धर्मनिरपेक्षता असंभव है। धर्म एक ही होता है। ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सिख ये धर्म नही है अपितु पंथ मजहब या संप्रदाय है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं जो मनुस्मृति मे दर्ज है।

धर्मनिरपेक्ष शब्द, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बयालीसवें संशोधन (1976) द्वारा डाला गया था। भारत का इसलिए एक आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास और किसी भी धर्म के चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। सरकार के पक्ष में या किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह बराबर सम्मान के साथ सभी धर्मों का सम्मान करना होगा। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताओं के लिए कानून के सामने बराबर हैं। कोई धार्मिक अनुदेश सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिया जाता है। फिर भी, सभी स्थापित दुनिया के धर्मों के बारे में सामान्य जानकारी समाजशास्त्र में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में दिया जाता है, किसी भी एक धर्म या दूसरों को कोई महत्व देने के बिना। मौलिक मान्यताओं, सामाजिक मूल्यों और मुख्य प्रथाओं और प्रत्येक स्थापित दुनिया धर्मों के त्योहारों के संबंध के साथ सामग्री / बुनियादी मौलिक जानकारी प्रस्तुत करता है। एसआर बोम्मई बनाम भारतीय संघ में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है कि धर्मनिरपेक्षता था।

परिचय

देश के प्रमुख विपक्षी दलों के अनुसार, राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री का धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना 'प्रधानमंत्री के रूप में ली गई शपथ के साथ-साथ संविधान की मूल संरचना' का भी उल्लंघन है। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भूमि पूजन कर 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' का शिलान्यास किया और कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता व भावना का प्रतीक है तथा इससे समूचे अयोध्या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। राम मंदिर को भारतीय संस्कृति की "समृद्ध विरासत" का द्योतक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह न केवल आने वाली पीढ़ियों को आस्था और संकल्प की, बल्कि अनंतकाल तक पूरी मानवता को प्रेरणा देता रहेगा।[1,2]

वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा गत्यात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक से संबंधित मामलों से जान बूझकर दूर रखा जाता है अर्थात् तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

इस आलेख में धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन तथा चुनौतियों और समाधान पर विमर्श किया जाएगा।

धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य

- धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर-धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे।
- धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है।
- धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म, व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, जिसमे राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी जो संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद-25 से 28) से स्पष्ट होती है।
- भारतीय संविधान में पुन: धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42 वें संविधान संशोधन अधिनयम, 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में 'पंथ निरपेक्षता' शब्द को जोड़ा गया।
- यहाँ पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नही होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी।[3,4]
- पंथनिरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है।
- भारत का संविधान किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है।

धर्मनिरपेक्षता का महत्त्व

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अनूठी अवधारणा है जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। इसके महत्त्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-
  - धर्मनिरपेक्षता समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करता है और एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार बनाता है।
  - एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होता है सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु रवैया अपनाता है।
  - व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है इसलिये वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करना चाहेगा। यह सुरक्षा सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्य ही प्रदान कर सकता है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

- धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिकों के भी जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है साथ ही उन्हें अपने तरीके की जीवन शैली और जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है।
- इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक, क्रांतिकारी और व्यापक अवधारणा है जो विविधता को मज़बूती प्रदान करता है। [5,6]

धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पक्ष

- धर्मनिरपेक्षता की भावना एक उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो 'सर्वधर्म समभाव' की भावना से परिचालित है।
- धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य करती है।
- इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदायों पर वर्चस्व स्थापित नहीं होता है।
- यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करती है तथा धर्म को राजनीति से पृथक करने का कार्य करती है।
- धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है जो सभी धर्मों का मूल उद्देश्य भी है।

धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक पक्ष

- भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को लेकर आरोप लगाया जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है। अर्थात् इसकी जड़े/उत्पत्ति ईसाइयत में खोजी जाती हैं।
- धर्मनिरपेक्षता पर धर्म विरोधी होने का आक्षेप भी लगाया जाता है जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिये खतरा उत्पन्न करती है।
- भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यकों के मामले में हस्तक्षेप करता है जो अल्पसंख्यकों ं के मन में यह शंका उत्पन्न करता है कि राज्य तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देता है। ऐसी प्रवृत्तियाँ ही किसी समुदाय में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं।
- धर्मनिरपेक्षता को कभी-कभी अति उत्पीड़नकारी रूप में भी देखा जाता है जो समुदायों/व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है।

धर्मनिरपेक्षता के भारतीय व पश्चिमी मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन

- कभी-कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। लेकिन संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। जिसका जिक्र निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-
  - पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जहाँ धर्म एवं राज्य के बीच पूर्णत: संबंध विच्छेद पर आधारित है, वहीं भारतीय संदर्भ में यह अंतर-धार्मिक समानता पर आधारित है।
  - पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णत: नकारात्मक एवं अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं भारत में यह समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।
  - गौरतलब है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतःधार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किये जा सकने वाले खतरों का विरोध किया है, जो इसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न बनाती है।[7,8]

- यदि पश्चिम में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिये कोई निर्देश देती है तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जबकि भारत में मंदिरों, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकते हैं।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी होती है और अनुकूलता भी, जो पश्चिम में देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण के लिये भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं सरकार ने बाल विवाह के उन्मूलन हेतु अनेक कानून भी बनाए हैं।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के बिंदु

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्म निरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है लेकिन यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है।
- धर्म निरपेक्षता के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है, अर्थात इसाईयत से प्रेरित है, लेकिन यह सही आलोचना नहीं है। दरअसल भारत में धर्मनिरपेक्षता को प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है, यह कहीं से आयातित नहीं बल्कि मौलिक है।
- यह आरोप लगाया जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। अल्पसंख्यकों को शिकायत है कि राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उल्लेखनीय है कि तीन तलाक के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना था कि सामाजिक सुधारों के नाम पर राज्य द्वारा निजी कानूनों में दखल दिया जा रहा है। वहीं जैन धर्मावलंबी अपनी संथारा प्रथा का बचाव उसके हजारों सालों से चले आने के आधार पर कर रहे हैं।
- धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाती कुछ घटनाएँ भी इसके समक्ष चुनौती पेश करती रही हैं जैसे 1984 के दंगे, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, वर्ष 1992-93 के मुंबई दंगे, गोधरा कांड और वर्ष 2003 के गुजरात दंगे, गौहत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले आदि।
- आलोचकों द्वारा एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) धर्मनिरपेक्षता के समक्ष एक अन्य चुनौती पेश कर रही है दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आज तक बहाल नहीं हो पाई है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर यह देश की सबसे बड़ी चुनौती है।[9,10]

समाधान

- चूँकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न अंग है अत:सरकारों को चाहिये कि वे इसका संरक्षण सुनिश्चित करें।
- एस.आर.बोम्मई बनाम भारत गणराज्य मामले में वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। अत: राजनीतिक दलों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अमल करने की आवश्यकता है।
- यूनिफार्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता जो धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है, को मज़बूती से लागू करने की आवश्यकता है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

- किसी भी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला है। अत: जनप्रतिनिधियों को चाहिये कि वे इसका प्रयोग वोट बैंक के रूप में करने से बचें।

आगे की राह

- सरकार को चाहिये कि वह इसका संरक्षण सुनिश्चित करे चूँकि धर्मनिरपेक्षता को न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा मान लिया गया है।
- धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिये।
- जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिये कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और निजी मामला होता है। अंत उसे वोट बैंक के लिये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिये। साथ ही राजनीति को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिये।

विचार-विमर्श

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन को रामलला के पक्ष में सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस निर्णय से श्री राम जन्म भूमि के कानूनी विवाद का समाधान हो गया है, साथ ही भारत में धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है।

परिचय

पश्चिमी मॉडल में धर्मनिरपेक्षता से आशय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ धर्म और राज्यों का एक-दूसरे के मामले मे हस्तक्षेप न हो, व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाए। वहीं इसके विपरीत भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न विचारधाराओं को स्थान दिया जाता रहा है। यहाँ धर्म को जिंदगी का एक तरीका, आचरण संहिता तथा व्यक्ति की सामाजिक पहचान माना जाता रहा है।[11,12]

इस प्रकार भारतीय संदर्भ में धर्मनिपेक्षता का मतलब समाज में विभिन्न धार्मिक पंथों एवं मतों का सहअस्तित्त्व, मूल्यों को बनाए रखने, सभी पंथों का विकास, और समृद्ध करने की स्वतंत्रता तथा साथ-ही-साथ सभी धर्मों के प्रति एकसमान आदर तथा सहिष्णुता विकसित करना रहा है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता

गौरतलब है कि भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के बाद पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किसी भाग में नहीं किया गया है, वैसे संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य साबित करते हैं, जिसकी पुष्टि निम्न बिन्दुओं से होती है-

- भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- संविधान में भारतीय राज्य का कोई धर्म घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया है।

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

- संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होगें और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- वहीं अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव पर पाबंदी लगाई गई है।
- अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान अवसर प्रदान करने की बात की गई है। (कुछ अपवादों के साथ) ञ इसके साथ भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतन्त्रता का मूल अधिकार भी प्रदान किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों का प्रसार करने या फैलाने का अधिकार दिया गया है।
- वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 27 कहता है कि नागरिकों को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की स्थापना या पोषण के एवज में कर देने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।
- अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए किये जाने वाले व्यय को कर मुत्तफ़ घोषित किया गया है।
- संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को स्वयं के शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं उन पर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है।
- अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बनाने का प्रयास करेगा।

धर्मनिरपेक्षता का महत्त्व

भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अनूठी अवधारणा है जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। इसके महत्व को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- धर्मनिरपेक्षता समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करता है और एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार बनाता है।
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक दायित्वों से स्वतंत्र होता है सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु रवैया अपनाता है।
- व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है इसलिए वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के िखलाफ सुरक्षा प्राप्त करना चाहेगा। यह सुरक्षा सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्य ही प्रदान कर सकता है।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिकों के भी जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है साथ ही उन्हें अपने तरीके की जीवन शैली और जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है।
- धर्मनिरपेक्ष राज्य राजनैतिक दृष्टि से भी ज्यादा स्थायी होता है।
- इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक, क्रांतिकारी और व्यापक अवधारणा है जो विविधता को मजबूती प्रदान करता है।[13,14]

भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर

कभी-कभी यह कहा जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। लेकिन संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

- पश्चिम की पूर्णतया अलगाववादी नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा के विपरीत भारत की धर्मरिपेक्षता समग्र रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता पर आधारित है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है बल्कि अंतर-धार्मिक समानता पर जोर देती है।

धर्मनिरपेक्षता पर नेहरु के विचारः पंडित जवाहर लाल नेहरू ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो 'सभी धर्मों की हिफाजत करे अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राज्यधर्म के तौर पर स्वीकार न करे। नेहरु भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेहरु स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। स्मरणीय हो कि ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। इस अर्थ में नेहरु तुर्की के अतातुर्क से काफी भिन्न थे। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। उनके विचार के अनुसार, समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्यसत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है।

धर्मनिरपेक्षता पर गांधी जी के विचारः महात्मा गांधी निजी जीवन में धार्मिक व्यक्ति थे, वे धर्म और राजनीति के माध्य संबंधों को प्रमुखता देते थे। इस मामले में वे पंडित नेहरू से अलग मत रखते थे।

- गौरतलब है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतःधार्मिक और अंतर-धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का विरोध किया है, जो इसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से भिन्न बनाती है।
- यदि पश्चिम में कोई धार्मिक संस्था किसी समुदाय या महिला के लिए कोई निर्देश देती है तो सरकार और न्यायालय उस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जबकि भारत में मंदिरों, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश जैसे मुद्दों पर राज्य और न्यायालय दखल दे सकते हैं।
- एक अन्य भिन्नता यह भी है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आबादी से भी है। इसके अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का जहाँ धर्म चुनने व मानने का अधिकार है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएँ कायम रखने का अधिकार दिया गया है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश भी होती है और अनुकूलता भी, जो पश्चिम में देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं भारत राज्य ने बाल विवाह के उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदूधर्म के द्वारा लगाए निषेध को खत्म करने हेतु अनेक कानून भी बनाए हैं।[15,16]
- भारत में धर्मनिरपेक्षता के तहत गांधी जी की अवधारणा पर ज्यादा बल दिया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मों को समान और सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करने की बात की गई है।

इस प्रकार भारत की धर्मनिरपेक्षता न तो पूरी तरह धर्म के साथ जुड़ी है और न ही इससे पूरी तरह तटस्थ है। विदित हो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद मामले में दिए अपने निर्णय में धर्मनिरपेक्षता को भारत की आधारभूत संरचना का हिस्सा माना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने इन्हीं मूल्यों के आधार पर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से सैद्धान्तिक रूप में भिन्न है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों

भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने शुरूआती समय से ही तीखी आलोचनाओं का विषय रही है। जिसको लेकर कई तर्क भी दिए जाते रहे हैं। यहाँ हम उन चुनौतियो का जिक्र निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत कर सकते हैं-

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्म निरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है लेकिन यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है।
- धर्म निरपेक्षता के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है, अर्थात ईसाईयत से प्रेरित है, लेकिन यह सही आलोचना नहीं है। दरअसल भारत में धर्मनिरपेक्षता को प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है, यह कहीं से आयातित नहीं बल्कि मौलिक है।
- भारत की धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यक वाद होने का भी आरोप लगता रहा है। विदित हो कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी जरूर करती है मगर यह पैरवी न्याय के अनुसार होता है। ऐसे में अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए।
- भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा संचालित होती है। अल्पसंख्यकों को शिकायत है कि राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उल्लेखनीय है कि तीन तलाक के मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना था कि सामाजिक सुधारों के नाम पर राज्य द्वारा निजी कानूनों में दखल दिया जा रहा है। वहीं जैन धर्मावलंबी अपनी संथारा प्रथा का बचाव उसके हजारों सालों से चले आने के आधार पर कर रहे हैं।
- इसके आलावा यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि राज्य बहुसंख्यकों से प्रभावित होकर ही अल्पसंख्यकों के मामलों में दखल देता है। इसके विपरीत बहुसंख्यकों को यह संदेह होता है कि राज्य अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण कर रहा है। ऐसी प्रवृत्ति समुदायों में सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम कर रही है।
- धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाती कुछ घटनाएँ भी इसके समक्ष चुनौती पेश करती रही हैं जैसे 1984 के दंगे, बाबरी मस्जिद का ध्वंस, वर्ष 1992-93 के मुंबई दंगे, गोधरा कांड और वर्ष 2003 के गुजरात दंगे, गौहत्या रोकने की आड़ में धार्मिक और नस्लीय हमले आदि।
- नतीजतन भारत में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक कट्टरवाद, उग्र राष्ट्रवाद तथा तुष्टिकरण की नीति के कारण खतरे में है।[17]
- कुछ आलोचकों का तर्क है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है। यह व्यक्ति की धार्मिक स्वतन्त्रता में अधिक हस्तक्षेप करती है। जबकि ऐसा नहीं है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप उत्पीड़नकारी नहीं बल्कि सुधारवादी है।
- धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है जो इसके दुरुपयोग और इसे अपरिभाषित करने के लिये एक समुचित जगह प्रदान करता है। इस अर्थ में, समय-समय पर धर्मांतरण शब्द का भी दुरुपयोग और इसकी गलत व्याख्या की जाती रही है।
- आलोचकों द्वारा एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है।
- यूनिफॉर्म सिविल कोड धर्मनिरपेक्षता के समक्ष एक अन्य चुनौती पेश कर रही है दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता आज तक बहाल नहीं हो पाई है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर यह देश की सबसे बड़ी चुनौती है।

आगे की राह

कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इसके बदले इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, तीन तलाक, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जैसी कार्रवाइयों में भी झलकती है।

इसके अलावा शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता तमाम जटिल रणनीतियाँ अपना सकती है। अंततः स्पष्ट है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफी आगे तक जाता

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इसकी खामियों को दूर किया जाए। इसके लिए यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- सरकार को चाहिए कि वह इसका संरक्षण सुनिश्चित करे चूँकि धर्मनिरपेक्षता को न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा मान लिया गया है।
- धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक आयोग का गठन भी किया जाना चाहिये।
- जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और निजी मामला होता है। अंत उसे वोट बैंक के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही राजनीति को धर्म से अलग करके देखा जाना चाहिये।
- गौरतलब है कि एस-आर- बोम्मई बनाम भारत गणराज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, तो सत्ताधारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर राजनीतिक दलों को अमल करने की आवश्यकता है।
- धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अल्पसंख्यकों को मान्यता देने और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने पर आधारित है। अतः अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये और इसे धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिये।[18]

परिणाम

भारतीय संविधान द्वारा भारत पंथनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। पंथनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्ष देश में अंतर है कई लोग मानते हैं कि सेकुलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष है लेकिन उसका अर्थ पंथनिरपेक्ष होता है अर्थात कानूनी कार्रवाई सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से होएगी वैसे तो भारत हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र रहा है भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है जिसका मतलब है हिंदुओं का स्थान अमेरिका का मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है इसमें कोई शक नहीं है भारतीय संविधान की पूर्वपीठिका (preamble) में 'सेक्युलर' शब्द ४२वें संविधान संसोधन द्वारा सन १९७६ में जोड़ा गया। किन्तु ऐतिहासिक रूप से भारत में 'सर्वधर्म समन्वय' और वैचारिक एवं दार्शनिक स्वतन्त्रता अनादी काल से चली आ रही है

भारतीय समाज में धर्म निरपेक्षता के किया में कुछ ऐसे दोष है जिनसे यहां साम्प्रदायिकता तनाव को प्रोत्साहन आम भिन्न है|वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में हिन्दुओं ,मुसलमानों तथा इसाइयो केलिए सामाजिक कानून पृथक - पृथक है| इसके फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में ना केवल सामाजिक दूरी बनी रहती है बल्कि सभी धार्मिक समूहों का यह पर्यतन्त्र रहता है कि वे धर्म के आधार पर अधिक से अधिक संगठित होकर अपने लिए एक पृथक सामाजिक व्यवस्था की मांग कर सके | इसके फस्वरूप हमारा राष्ट्र मूल रूप से ही अनेक आत्मा_केंद्रित टुकड़ों में विभाजित हो जाता है

भारतीय संविधान के प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह एक खास धर्म, जाति, धर्म, जाति, जन्म की सेक्स या जगह के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव है। अवधि धर्मनिरपेक्षता के लिए भारतीय धारणा अवधि के लिए फ्रेंच राष्ट्र से अलग है [1].

धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में बयालीसवाँ संशोधन (1976) [2] द्वारा डाला गया था यह सभी धर्मों और धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान की समानता का अर्थ है। भारत, इसलिए एक आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हर व्यक्ति को उपदेश, अभ्यास और किसी भी धर्म वे चुनाव प्रचार करने का अधिकार है। सरकार के पक्ष में या किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करना चाहिए. यह बराबर सम्मान के साथ सभी धर्मों का इलाज करना होगा. सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताओं के कानून के सामने बराबर हैं। कोई धार्मिक अनुदेश सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिया जाता है। फिर भी, सभी स्थापित दुनिया के धर्मों के बारे में सामान्य जानकारी समाजशास्त्र में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में दिया जाता है, किसी भी एक धर्म या

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

दूसरों को कोई महत्व देने के बिना. मौलिक मान्यताओं, सामाजिक मूल्यों और मुख्य प्रथाओं और प्रत्येक स्थापित दुनिया धर्मों के त्योहारों के संबंध के साथ सामग्री / बुनियादी मौलिक जानकारी प्रस्तुत करता है। एसआर बोम्मई बनाम भारतीय संघ में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है कि धर्मनिरपेक्षता था।उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने जाने का अनुरोध किया है.गुजरतालाब है कि ये शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे. अब एक जनहित याचिका में कहा गया है कि किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ-साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय-वस्तु के विपरीत था.इसमें कहा गया है, 'यह कदम संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा और अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के नजरिए से अवैध था.' इसमें कहा गया है कि संशोधन भारत के महान गणराज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय-वस्तु के खिलाफ भी था.याचिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 2 (ए) के जरिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' को हटाये जाने के लिए उचित निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है.लाइव लॉ के मुताबिक, यह याचिका वकील बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला ने वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर की है, जिसमें जनप्रतिनिधि 1951 की धारा 29ए (5) में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द शामिल करने को भी चुनौती दी गई है.जिसमें सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपने ज्ञापन या नियमों और विनियमों में एक विशिष्ट प्रावधान करने से पहले निकाय को हलफनामा देना होता है कि वो भारत के संविधान के लिए और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखेगा.याचिकाकर्ता ने सवाल किया है कि क्या धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की अवधारणाएं राजनीतिक विचार हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सात अगस्त को सुनवाई करेगा.इससे पहले 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को बरकरार रखा था.[19]

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर शपथ ग्रहण से पहले शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस के गठबंधन 'महा विकास अघाड़ी' के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सेक्युलरिज्म पर जोर के बाद इस पर चर्चा फिर तेज है। सीएमपी की प्रस्तावना में लिखा गया है, 'इस गठबंधन के साझेदार संविधान के सेक्युलर मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। देश और राज्य के हित के मुद्दों पर खासतौर से देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को ध्यान में रखते हुए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस भविष्य में मिलकर एक-दूसरे से सलाह करेंगे और तभी नतीजे पर निकलेंगे।' इसी के साथ एक बार फिर सेक्युलर शब्द पर चर्चा शुरू हो गई है। सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष शब्द को लेकर भारतीय राजनीति में हमेशा घमासान रहा है। इसे जानने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि भारत के पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर होने का क्या अर्थ है? एनसीआरटी के अनुसार पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ है कि भारत नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देगी।

भारत के संविधान की प्रस्तावना जब तैयार की गई तो शुरुआत में इसमें सेक्युलर शब्द नहीं था। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें 'सेक्युलर' शब्द को शामिल किया गया। इस पर एक पक्ष का मानना है कि संविधान में इससे पहले भी पंथ निरपेक्षता का भाव शामिल था। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिए गए हैं। 42वें संशोधन में 'सेक्युलर' शब्द को जोड़कर सिर्फ इसे स्पष्ट किया गया।

दूसरे पक्ष का यह मानना है कि संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जैसे शब्दों का जुड़ना और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल होना एक सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है। यही कारण है कि ये बदलाव आज भी हमारे संविधान का हिस्सा हैं, लेकिन इन चुनिंदा सकारात्मक प्रावधानों से कभी भी आपातकाल और उसकी आड़ में हुए संविधान संशोधनों की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती थी।[18]

कब-कब विवादों में रहा 'सेक्युलरिज्म'

वाजपेयी सरकार ने भी साल 1998 में संविधान की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई। तब इसका विरोध भी हुआ कि यह संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की कोशिश है। पंथनिरपेक्षता और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने उस वक्त एक लंबे लेख में केशवानंद भारती केस का जिक्र करते हुए लिखा कि सेक्युलरिज्म भारत की संस्कृति में है।

क्या है केशवानंद भारती केस :

केरल सरकार ने भूमि सुधार को लेकर दो कानून बनाए। इन कानूनों की मदद से केरल सरकार राज्य में चल रहे मठों पर अपना पूरा नियंत्रण कर उस पर कई तरह की पांबदियां लगाने की तैयारी में थी। सरकार के इस कदम का असर केरल में चल रहे मठों पर पड़ना तय था। ऐसे में केरल के इडनीर नाम के हिंदू मठ के मुखिया केशवानंद भारती ने सरकार को चुनौती देने के लिए कोर्ट पहुंच गए। इसके लिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का सहारा लिया। अनुच्छेद 26 के अनुसार भारत के हर नागरिक को धर्म-कर्म के लिए संस्था बनाने, उसकी देख-रेख करने के साथ ही चल और अचल संपत्ति जोड़ने का अधिकार देता है। केशवानंद भारती का तर्क था कि सरकार द्वारा लाए गए नए भूमि सुधार कानून उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कई राजनीतिक विशलेषकों का मानना है कि केशवानंद की लड़ाई केवल केरल सरकार से नहीं, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी थी। 13 जजों की बेंच जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस एसएम सीकरी कर रहे थे, ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने फैसला सुनाया तो सात जजों ने अपना निर्णय सरकार के खिलाफ सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता है। बुनियादी ढांचा यानी देश का संविधान सबसे ऊपर है। फैसले ने ये सुनिश्चित किया कि देश में कानून का शासन और न्यायपालिका की आजादी रहेगी। इसे 'बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी' भी कहा जाता है।

साल 2015 में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश को 'सेक्युलर' शब्द के दुरुपयोग के खिलाफ चेताया था। उन्होंने कहा था कि देश में 'सेक्युलर' शब्द का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है, इसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के शब्द सेक्युलर का औपचारिक अनुवाद पंथनिरपेक्ष होता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। राजनाथ सिंह साल 2015 में शीतकालीन सत्र के पहले दिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जताने के लिए हो रही दो दिन की विशेष चर्चा शुरू कर रहे थे।[17]

उन्होंने कहा कि संविधान में 42वां संशोधन कर उसकी प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाले गए थे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। इसलिए शुरूआत में संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को नहीं डाला गया था।

साल 2015 में ही उप-राष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए अपने भाषण में कहा था कि भारत सिर्फ इसलिए सेक्युलर नहीं है, क्योंकि यह हमारे संविधान में है। भारत सेक्युलर है क्योंकि सेक्युलरिज्म हमारे 'डीएनए' में है।

कर्नाटक के कोप्पल जिले में को ब्राह्मण युवा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि 'सेक्युलर' शब्द संविधान में है तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यह संविधान में है, तो हम इसका सम्मान करेंगे। लेकिन यह आने वाले समय में बदलेगा, संविधान में पहले भी कई बदलाव हुए हैं, अब हम हैं और हम संविधान बदलने आए हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्युलरिस्ट लोगों का नया रिवाज आ गया है। अगर कोई कहे कि वो मुस्लिम है, ईसाई है, लिंगायत है, हिंदू है तो ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि वो कहां से आया है। लेकिन जो खुद को सेक्युलर कहते हैं, मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या कहूं। अनंतकुमार हेगड़े के इस बयान का उत्तर केशवानंद भारती केस में कोर्ट के फैसले द्वारा

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

दिया जा चुका है कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता है।

42वें संशोधन के दामन से जुड़े विवाद :

42वें संशोधन का समर्थन ना करने वालों का मानना है कि भारतीय संविधान की कई धाराओं से धर्मनिरपेक्षता 42वें संशोधन के पहले से ही समाहित है। धारा 14 देश ने नागरिकों को कानून की नजर में एक समान होने का प्रावधान देती है। धारा 15 के तहत धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव करने पर रोक है।

लेकिन कई लोगों को लगता है कि आज लगभग 70 साल बीत जाने के बाद भी 'धर्मनिरपेक्षता' एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जोड़ने की जगह समुदायों को अलग कर रहा है।

इसमें बहुसंख्यकों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ज्यादातर कानून, पाबंदियां उनकी धार्मिक मान्यताओं और संस्थाओं पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) का लागू न होना, आदिवासी इलाकों मे जीवन यापन करने वाले लोगों में धर्मांतरण को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को संरक्षण देना भी शामिल है।

42वें संशोधन में हुए अहम बदलाव :

- संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' 'धर्मनिरपेक्ष' एवं 'एकता और अखंडता' आदि शब्द जोड़े गए।
- सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई।
- इसके अंतर्गत संविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया।
- इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या- नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूचि से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया।
- इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- इसने संसद को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए और सर्वोच्चता स्थापित की।[16]

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में और खासकर संविधान की प्रस्तावना (preamble) में साफ तौर से कहा गया है कि भारत लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य होगा। इसके बावजूद धर्मनिरपेक्षता को लेकर संविधान लागू होने के बाद से ही विवाद चलता रहा है। इसलिए वस्तुस्थिति के बारे में सही जानकारी सबको मिलनी चाहिए। कुछ दिनों तक एक राजनीतिक दल ने दूसरे राजनीतिक दल पर यह आरोप लगाया था कि उसकी धर्मनिरपेक्षता की नीति वास्तव में छद्म धर्मनिरपेक्षता है। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर गहराई से विचार किया था कि क्या आधुनिक युग में धर्म के आधार पर राज्य का सुचारू संचालन संभव है? संविधान सभा में भी इस विषय पर पर्याप्त बहस हुई थी। इतिहास इस बात का गवाह है कि धर्म के आधार पर शासन चलाने के कितने दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य का संचालन किसी धर्म के आधार पर नहीं होगा। इतना ही नहीं, ध्यान देने की बात यह भी है कि भारत जैसे देश में जहां धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति, रहन सहन और रीति रिवाज इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं वहां इनमें से किसी एक को राज्य के द्वारा बढ़ावा दिए जाने और किसी दूसरे को अपमानित और लांछित किए जाने का भारी नुकसान हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने इस अनेकता की कमजोरी को एकता की ताकत में बदलने का एक फार्मूला तैयार कर दिया जो भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा। धर्मनिरपेक्षता को ठीक से समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निरपेक्षता

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

और सापेक्षता दोनों धारणाओं में मुख्य बात है अपेक्षा। कोई काम समय सापेक्ष होता है तो उसमें यह अर्थ छिपा हुआ है कि समय वहां महत्वपूर्ण है लेकिन उसी काम को समय निरपेक्ष कर दिया जाए तो उसका अर्थ ये हुआ कि काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है परंतु कब होना है इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान में भारतीय गणराज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि राज्य के संचालन में धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा। धर्म जो है वो रहेंगे, धार्मिक संस्थाएं भी रहेंगी, धर्म परायणता भी रहेगी और धार्मिक रीति रिवाज अपने ढंग से चलते रहेंगे। राज्य न तो किसी धर्म को अपनाएगा और न ही किसी धर्म का विरोध करेगा। संविधान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य को यद्यपि धर्म की जरूरत नहीं है परंतु यहां के हर नागरिक को धर्म और आस्था की स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य इतना जरूर देखेगा कि इस मामले में कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती न करे। अगर भारत के एक गांव में किसी एक धर्म के मानने वाले 500 लोग हैं और दूसरे धर्म के मानने वाले सिर्फ 10 लोगों का एक परिवार है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अधिक संख्या वाले अपनी ताकत के बल पर कम संख्या वाले लोगों को अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर कर सकें और अगर कहीं ऐसा होता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा। कई बार ऐसे प्रयास किए भी जाते हैं लेकिन भारत का कानून इस मामले में इतना सजग है कि वह `मत्स्य न्याय` की इस प्रवृति को कभी सफल नहीं होने देता। यह कहना भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार जैसे-जैसे बढ़ा है वैसे-वैसे धर्म के संबंध में गलतफहमियां भी दूर हुई हैं। सही बात तो यह है कि धर्म के संबंध में न कोई विवाद है और न ही होना चाहिए। धर्म वह मार्ग है जो अपने आराध्यदेव तक पहुंचने में मदद करता है। आराध्यदेव भी अलग-अलग हैं- कोई उन्हें भगवान मानता है तो कोई खुदा मानता है, कोई ईसा मसीह को भगवान मानता है तो कोई गुरुनानक को अपना आराध्य मानता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी ऐसे ही आराध्य देवों की श्रेणी में आते हैं। कोई सगुण ब्रह्म को मानता है तो किसी की आस्था निर्गुण ब्रह्म में है। हिन्दू लोग तो यहां तक मानते हैं कि वैसे तो भगवान निर्गुण और निराकार हैं परंतु धरती पर जब अधर्म का बोलबाला स्थापित हो जाता है तो उसका नाश कर धर्म की पुन: स्थापना करने के लिए भगवान अवतार ले लेते हैं।

वैसे तो आस्था से जुड़े मुद्दों पर बहस नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो यह धारणा अतार्किक नहीं दिखती। जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि के निर्माण और विनाश का कारण बन सकता है वह अगर अवतार लेता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहां पर धर्म को सही ढंग से समझने में भी कुछ पुख्ता आधार मिल जाते हैं। गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने यह वचन दिया था कि जब-जब धर्म पर आपत्ति आएगी तो वह अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुन: स्थापना करने के लिए अवतार लेंगे। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि मानव जब अपने कर्मों को भूलकर गलत रास्ता अपनाएगा अथवा मानव का एक समूह अपने दंभ और जोर जबरदस्ती के कारण अन्य लोगों को मानवोचित कर्मों से अलग करने की साजिश करेगा तब-तब भगवान अवतार लेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे ताकि मानवोचित कर्मों के महत्व को फिर से स्वीकार किया जाए और समाज सुचारू रूप से आगे बढ़े। धर्म का वास्तविक अर्थ यही है। मानवोचित कर्मों को अर्थात उन कर्मों को जिन्हें मनुष्य के लिए धारण करना जरूरी है धर्म कहते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक है कि मनुष्य के इतने लंबे इतिहास में मनीषी लोग पैदा हुए हों और उन लोगों ने अलग-अलग काल में अलग-अलग धर्म की स्थापना की हो। यह तो आस्था वाली बात बन जाती है कि जो मार्ग हमें पसंद है उस मार्ग पर हम चलें। हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता सही रूप में तभी मिल सकती है जब हम दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करें। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति भी यही है कि जीयो और जीने दो। इसलिए भारत जैसे देश में जहां अनेक धर्म हैं वहां के लिए यह जरूरी है कि लोग यह मानकर चलें कि सभी धर्म अपनी जगह पर स्वतंत्र हैं और भारतीयता नामक एक धर्म ऐसा है जिसमें सभी धर्मों का न सिर्फ आदर किया जाता है बल्कि सभी धर्म उसमें समाहित भी हैं।[15] भ्रम की स्थिति तब पैदा होती है जब लोग यह पूछने लगते हैं कि राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना तो समझ में आता है लेकिन व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है। इस भ्रम का निवारण सिर्फ एक तथ्य से हो सकता है कि मुझे अपने धर्म में पूरी आस्था है परंतु दूसरे धर्मों के प्रति मेरे मन में आदर का भाव भी है। आधुनिक लोकतंत्र में और खासकर भारत जैसे गणराज्य में इस बात को बहुत साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि जो जितने महत्वपूर्ण पद पर बैठा है उसके लिए धार्मिक सहिष्णुता उतनी ही ज्यादा जरूरी है। एक आम आदमी कोई बात कहता है या कोई काम करता है तो उसका असर उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर ही होता है। परंतु अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई बात कहता है या कोई आचरण करता है तो उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है। उसके आचरण और वक्तव्य दोनों में बनाने और बिगाड़ने की क्षमता है। कोई हिन्दू मुख्यमंत्री या

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

प्रधानमंत्री कोई बात कहता है या कोई आचरण करता है तो उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है। उसके आचरण और वक्तव्य दोनों में बनाने और बिगाड़ने की क्षमता है। कोई हिन्दू मुख्यमंत्री अजमेरशरीफ जाकर चादर चढ़ाता है अथवा स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेकता है तो उसका समाज पर अच्छा असर होना लाजिमी है। वह स्थिति वास्तव में आदर्श होगी जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्मावलंबियों के धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हों।[14]
वर्तमान संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को लेकर फिर से एक विवाद छिड़ गया है। राजनीतिक ढंग से कुछ लोग लीपापोती करने में लगे हैं लेकिन विवाद के कारणों को समझना और उनका समाधान करना समय की मांग है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सलाह के तौर पर यह कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का प्रधानमंत्री का दावेदार ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसकी छवि स्वच्छ हो और धर्मनिरपेक्ष हो। उनके इस बयान को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघ चालक मोहन भागवत से लेकर भाजपा के नेता बलवीर पुंज तक ने भारी विरोध किया। हालांकि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था लेकिन आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने यह मान लिया कि नीतीश कुमार का कथन नरेंद्र मोदी के बारे में है। इस सिलसिले में यह कहना जरूरी है कि वैसे तो नीतीश कुमार ने एक ऐसी सलाह दी है जो सिर्फ एनडीए ही नहीं सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी है। और फिर एनडीए को ऐसी सलाह देने का उनका हक भी बनता है। जो स्वयं एनडीए का सदस्य है वह यदि ऐसी सलाह देता है तो इसमें बुरा क्या है। इस सलाह का विरोध करने वालों के बारे में ऐसा भी सोचा जा सकता है कि यहां चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर जो विवाद पहले से बना हुआ है उसमें कोई नई बात नहीं जोड़ी गई। यह सही है कि एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन जहां तक एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार का नाम तय करने की बात उठेगी तो जाहिर है कि उसमें शामिल सभी दलों की राय ली जाएगी। संघ और भाजपा ने एनडीए के साथी दलों से परामर्श किए वगैर यह कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी का कद ऊंचा उठाने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें बुलाने के लिए उनके शर्तों को मानते हुए कार्यकारिणी के एक सदस्य संजय जोशी को बिना कारण बताए निकाल दिया। भाजपा के नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि एनडीए के दलों को साथ लेकर चलने में कोई लापरवाही दिखाई गई तो वही परिणाम होगा जो राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला। एनडीए के दो बड़े दल जदयू और शिवसेना ने एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया और यूपीए के प्रत्याशी का समर्थन किया। जाहिर है कि अगर एनडीए के सबसे बड़े दल भाजपा ने अन्य दलों को विश्वास में लेकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए नीति बनाई होती तो उसकी ऐसी फजीहत नहीं होती। कमाल की बात तो यह है कि भाजपा के कुछ बड़े नेता यह दावा कर रहे हैं कि संगमा को समर्थन देकर उन्होंने बीजद और अन्नाद्रमुक को एनडीए में शामिल करने की एक चाल चली है। भाजपा का एक आम कार्यकर्ता भी सोच सकता है कि यदि जदयू और शिवसेना को छोड़कर बीजद और अन्नाद्रमुक का समर्थन मिल भी जाए तो वह कितना लाभदायक होगा।
जहां तक नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार घोषित करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाने का सवाल है तो एनडीए का आम कार्यकर्ता भी इस बात को आसानी से पचा नहीं सकता। इसमें कई सवाल शामिल हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या एनडीए में प्रधानमंत्री के दावेदार बनने लायक और नेता नहीं हैं। नरेंद्र मोदी मेंऐसी कौन सी विशेषता है जो एनडीए के अन्य नेताओं में नहीं है। भाजपा वाले नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष की छवि प्रदान करना चाहते हैं जबकि असलियत यह है कि गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले हो चुका था। मोदी ने एक विकसित राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। अगर उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता नीतीश कुमार की तुलना की जाए तो मीडिया से लेकर हर कोई यह मानने को तैयार है कि नीतीश कुमार ने विकास की दृष्टि से पिछड़े एक राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अगर इस तुला पर तौलकर देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं अच्छे विकास पुरुष साबित होते हैं। उनकी स्वच्छ छवि और धर्मनिरपेक्ष चिंतन के बारे में उनके विरोधियों को भी कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। राजनीतिक समीक्षकों की बात को छोड़ दिया जाए, एक आम आदमी भी इस बात को आसानी से समझ लेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा कट्टरपंथी व्यक्तित्व शायद एनडीए के पास दूसरा नहीं है। जाहिर है कि एनडीए में शामिल अन्य दल इसे पसंद करें या न करें लेकिन भाजपा कट्टरपंथी छवि वाले नेता नरेंद्र मोदी को दावेदार बनाकर मैदान में उतारने का मन बना रही है। भाजपा के एक नेता ने तो चार कदम और आगे बढ़कर मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी से कर दी। शायद भाजपा और पूरे संघ परिवार की सोच यह बन रही है कि कट्टरपंथी नेता ही चुनाव में उनका उद्धार कर सकता है। यह दूर की कौड़ी तो उन्हें दिखाई दे रही है लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली कहाबत भी वे चरितार्थ करने जा रहे हैं। पूरे एनडीए की तो बात छोड़ दी जाए, भाजपा के अंदर भी सभी लोग

ISSN: 2395-7639

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 4, Issue 12, December 2017

कट्टरपंथ को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति जब बड़ी लड़ाई लड़ने चलता है तो पहले घर को मजबूत कर लेता है।[13]
हमारी वर्तमान राजनीति में समय साक्षेप व्यवहारिकता का भी काफी महत्व है। एक नगर निगम चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक दलों के यहां टिकट मांगने वालों की भीड़ लग जाती है। हर व्यक्ति अपना बायोडाटा पेश करता है। पार्टी सबको तो टिकट दे नहीं सकती इसलिए जितने लोग आवेदन करने वाले हैं उनमें से ऐसे प्रत्याशी को पार्टी टिकट देती है जिसके खिलाफ मतदाता में ज्यादा विवाद न हों। यहां तक कि आपराधिक छवि वाले या घोटाले के आरोपी व्यक्तियों से हर पार्टी यथासंभव किनारा करने की कोशिश करती है। उसे पता है कि टिकट दे देना ही पर्याप्त नहीं है, मतदाता के बीच उस व्यक्ति की क्या पहचान बनती है उसपर ही उसकी हार जीत निर्धारित होगी। नीतीश कुमार की सलाह को एनडीए के नेताओं को एक स्वर्णिम सलाह (गोल्डन एडवाइस) के तौर पर देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी पर सांप्रदायिकता के आरोप लगे हैं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जब तक अदालत द्वारा उन्हें दोषी या निर्दोष साबित नहीं कर दिया जाता तब तक इस बारे में अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि वह एक विवादित व्यक्तित्व जरूर हैं। यहां तक कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जहां जदयू और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार ने यह मांग कर दी कि भाजपा के नेता किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार करने के लिए न भेजें। यह स्थिति सिर्फ बिहार की नहीं है। अन्य प्रदेशों के कई और नेता भी यह चाहते हैं कि उनके राज्य में प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी न जाएं। अब सवाल ये उठता है कि अगर भाजपा और संघ परिवार ने यह ठान लिया हो कि कोई साथ आए या कोई साथ छोड़कर जाए उन्हें उसकी परवाह नहीं है तो बात दूसरी होगी। लेकिन अगर पहले की तरह भाजपा यह चाहती है कि एनडीए सभी सहयोगियों को साथ लेकर चले तो ऐसे ही व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए जिसकी छवि विवादित न हो। धर्मनिरपेक्षता की छवि भारत में नेता बनने के लिए जरूरी है। स्थानीय स्तर के चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक किसी भी प्रत्याशी की छवि अगर दागदार मानी जाती है तो उसके समर्थन मिलने की ज्यादा गुंजाइश भी नहीं होती है। राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा के सामने नरेंद्र मोदी को लेकर एक गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। जिन दलों का धर्मनिरपेक्षता की नीति में अटूट विश्वास है वे भाजपा से दूरी बनाए रखने का प्रयास करेंगे। यह जरूरी नहीं कि एनडीए से हटने वाले सभी दल यूपीए में शामिल हो जाएं लेकिन इतना निश्चित है कि अगर दागदार छवि का व्यक्ति भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया जाता है तो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले दल एनडीए से जरूर अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार की सलाह को सही वक्त पर दी गई सही सलाह मानकर सही समय पर सही फैसला लेना ही भाजपा के लिए बुद्धिमानी होगी।[19]

संदर्भ

[1] Bhavya Gupta, “SECULARISM AS AN IDEOLOGY: A GLOBAL AND INDIAN PERSPECTIVE,” SSRN Electron. J., 2016
[2] O. Khalidi, “Hinduising India: Secularism in practice,” Third World Q., 2008, doi: 10.1080/01436590802528614.
[3] AIR, Sardar Taheruddin Syedna Saheb v. State of Bombay. 1962, p. 853.
[4] SCC, Keshwananda Bharti v. The State of Kerala, vol. 4. 1973, p. 225.
[5] AIR, S. R. Bommai v. Union of India. 1994, p. 1918.
[6] R. Bhargava, “What is Indian secularism and what is it for?,” India Rev., 2002, doi: 10.1080/14736480208404618.
[7] P. Singh, “Hindu bias in India’s ‘secular’ constitution: Probing flaws in the instruments of governance,” Third World Q., 2005, doi: 10.1080/01436590500089281.
[8] T. N. Madan, “Secularism in Its Place,” J. Asian Stud., 1987, doi: 10.2307/2057100.
[9] J. Chiriyankandath, “‘Creating a secular state in a religious country’: The debate in the Indian Constituent Assembly,” Journal of Commonwealth and Comparative Politics. 2000, doi: 10.1080/14662040008447816.
[10] “Indian secularism: a social and intellectual history, 1890-1950,” Choice Rev. Online, 2009, doi: 10.5860/choice.47-1020.

[11] Domenic Marbaniang, Indian Secularism, 2000
[12] Domenic Marbaniang, Secularism in India, 1998
[13] Secularism in India: A Historical Analysis (Unabridged Edition), 1996
[14] "धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता में अंतर क्या है? -विचार मंथन | सद्‌गुरुजी - Jagran"., 2013
[15] धर्मनिरपेक्षता – एक नई सोच, 2011
[16] Secularism 101: Religion, Society, and Politics, 2001
[17] Secular Sites, 2003
[18] Study of Secularism in Society and Culture, 2004
[19] Freethought Bibliography--Major Secular Texts, 2006